

## FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI(SAHARSA)

[Jamabandi Cancellation Revision No.-59/2025]

Ram Kumar Yadav &amp; Anr.....Appellants.

Versus

The State of Bihar &amp; Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date										
1	2	3	4										
	04.5.2026	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह जमाबंदी रद्दीकरण वाद न्यायालय समाहर्ता, सुपौल द्वारा जमाबंदी रद्द अपील वाद संख्या-04/2017 में दिनांक-23.3.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा</th> <th>खाता(पुराना)</th> <th>खेसरा(पुराना)</th> <th>जमाबंदी सं.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>त्रिवेणीगंज</td> <td>लतौना</td> <td>92</td> <td>2079</td> <td>795/1060, 794, 926</td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक 24.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। Petitioner की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।</p> <p>Petitioner का कहना है कि प्रश्नगत जमीन जीवलाल को बाबूलाल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। तथा यह कि उनके द्वारा प्रश्नगत खेसरा की जमीन(रकवा-10 धुर) का क्रय जमाबंदी रैयत से निबंधित केवाला दस्तावेज के माध्यम से वर्ष-1985 में किया गया। जिसके उपरान्त उनके नाम से जमाबंदी सं.-795/1060 कायम हुआ एवं सरकार को मालगुजारी अदा किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि निबंधित केवाला के माध्यम से वर्ष-1989 में उनकी माता मालती देवी एवं अन्य द्वारा भी प्रश्नगत खेसरा से 10 धुर जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से किया गया। जिसके उपरान्त जमाबंदी सं.-794 उनकी माता एवं अन्य के नाम से कायम हुआ। साथ ही निबंधित केवाला के माध्यम से ही Petitioner सं.-02 द्वारा वर्ष-1989 में प्रश्नगत खेसरा से 10 धुर जमीन का क्रय किया गया। जिसके उपरान्त उनके नाम से जमाबंदी सं.-926 कायम हुआ। उनका कहना है कि प्रश्नगत खेसरा सं.-2079 की जमीन रामनवमी मेला ग्राउण्ड के लिए अधिग्रहित जमीन नहीं है, फिर भी निम्न न्यायालय के स्तर से उनके जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। Petitioner के द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>विपक्षी सं.-02 का कहना है कि उन्हें एवं उनके भाई को खाता सं.-92, 263 एवं खेसरा सं.-2079, 2082 की कुल 48 डी. जमीन बिहार सरकार से वासगीत पर्चा के माध्यम से प्राप्त है, जिसके आधार पर अपर समाहर्ता के विविध वाद सं.-02/2001-02 के आदेश द्वारा जमाबंदी सं.-773 कायम किया गया। तथा यह कि दिनांक-07.4.2017 में अपर समाहर्ता, सुपौल द्वारा उनके जमाबंदी को आधारहीन बताते हुए रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया। उनका कहना है कि उनका प्रश्नगत जमीन मेला ग्राउण्ड से बाहर है एवं उस पर उनलोगों का मकानमय सहन है। उनका कहना है कि उक्त जमीन पर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत योजना स्वीकृत के उपरान्त मकान बनाया गया है। विपक्षी सं.-02 के द्वारा उनके जमाबंदी सं.-773 को सही बताते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>विपक्षी सं.-03 का कहना है कि विक्रय पत्र दिनांक-24.11.1993 एवं दखल के आधार पर उनके नाम से जमाबंदी सं.-646 एवं 1500 कायम किया गया। तथा यह कि अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज के गलत प्रतिवेदत के आधार पर अपर समाहर्ता, सुपौल द्वारा उनके जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया। उनका कहना है कि उक्त भूमि त्रिवेणीगंज मेला ग्राउण्ड सैरात के बाहर का भूमि है। विपक्षी सं.-03 के द्वारा उनके जमाबंदी सं.-646 एवं 1500 को सही बताते हुए निम्न न्यायालय के आदेश</p>	अंचल	मौजा	खाता(पुराना)	खेसरा(पुराना)	जमाबंदी सं.	त्रिवेणीगंज	लतौना	92	2079	795/1060, 794, 926	
अंचल	मौजा	खाता(पुराना)	खेसरा(पुराना)	जमाबंदी सं.									
त्रिवेणीगंज	लतौना	92	2079	795/1060, 794, 926									



04.5.2026

को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner के द्वारा वैध केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन (खेसरा-2079) का क्रय किया गया। जिसके उपरान्त उनके पक्ष में जमाबंदी कायम हुआ। समाहर्ता, सुपौल के प्रश्नगत आदेश (23.3.2025) के पांचवें पृष्ठ के तीसरे पारा में यह उल्लेखित किया गया है कि "अपर समाहर्ता, सुपौल के पत्रांक 1729-2 दिनांक-31.8.2024 के साथ संलग्न रामनवमी मेला ग्राउण्ड सैरात भूमि के मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि सरकार द्वारा जमींदार को रामनवमी मेला ग्राउण्ड अधिग्रहित करने के एबज में जमींदार के सात खेसराओं यथा खाता 38 खेसरा 2087, 2088 खाता 92 खेसरा 2080, 2089 तथा खाता 263 खेसरा 2082, 2077 तथा 2077/7578 कुल मिलजुमला रकवा 19-18-00 का मुआवजा भुगतान किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि रामनवमी मेला ग्राउण्ड में खेसरा 2079 सन्निहित नहीं है।" जिससे यह स्पष्ट होता है कि Petitioner की जमीन (खेसरा-2079) वस्तुतः त्रिवेणीगंज रामनवमी मेला ग्राउण्ड की अधिग्रहित जमीन से अलग जमीन है। एवं तदनुसार निम्न न्यायालय के स्तर से प्रश्नगत जमीन (खेसरा-2079) के जमाबंदी को रामनवमी मेला ग्राउण्ड की अधिग्रहित जमीन रहने के आधार पर रद्द किया जाना विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त तथ्यों को Overlook करते हुए प्रश्नगत आदेश (23.3.2025) पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। तदनुसार निम्न न्यायालय के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही समाहर्ता, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि त्रिवेणीगंज रामनवमी मेला ग्राउण्ड के अधिग्रहित जमीन से संबंधित अभिलेखों की पूरी जाँच कराते हुए अधिग्रहित जमीन के सन्निहित खेसराओं में यदि किसी निजी व्यक्ति की जमाबंदी सृजित की गयी है तो उक्त जमाबंदी को रद्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उपरोक्त आदेश के साथ इस पुनरीक्षण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति समाहर्ता, सुपौल को अनुपालन हेतु भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Page k.

04/5/2026.

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Page k.

04/5/2026.

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।